

उत्तर प्रदेश शासन  
प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-1  
संख्या-2185 /16-1099/1124/2019  
लखनऊ: दिनांक: 30 सितम्बर, 2022

कार्यालय-ज्ञाप

उत्तर प्रदेश निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था (प्रवेश का विनियमन और फीस का नियतन) अधिनियम-2006 की धारा-4 के अन्तर्गत प्रख्यापित निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था (प्रवेश का विनियमन और फीस का नियतन) समिति का गठन नियमावली-2008 की धारा-3 (1) अनुसार शासन के कार्यालय आदेश संख्या-2463/2008-सोलह-1-5-(डब्लू- 48)/2003 दिनांक 27.06.2008 द्वारा निजी क्षेत्र की अभियन्त्रण/व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के फीस निर्धारण हेतु प्रवेश और फीस नियमन समिति का गठन किया गया है।

2. अधिनियम की धारा-14 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके अधिसूचना संख्या- 4781/सोलह-1-14(34)/2014 दिनांक 22.12.2015 द्वारा उ0प्र0 निजी प्राविधिक शैक्षणिक संस्था (प्रवेश का विनियमन और फीस का नियतन) विनियमावली, 2015 निर्गत की गयी। उक्त विनियमावली में दी गयी व्यवस्था के अनुसार निजी क्षेत्र की डिग्री/डिप्लोमा स्तरीय अभियन्त्रण संस्थाओं में समिति द्वारा वर्ष 2017-18 (एक वर्ष) हेतु मानक शुल्क एवं मानक शुल्क से असन्तुष्ट संस्थाओं से प्राप्त प्रत्यावेदनों को निस्तारण करते हुए वर्ष 2017-18, 2018-19 एवं 2019-20 (कुल तीन वर्षों) के लिए "मानक शुल्क से इतर शुल्क" निर्धारित किया गया तथा वर्ष 2018-19, 2019-20 एवं 2020-21 (तीन वर्षों) के लिए मानक शुल्क एवं मानक शुल्क से असन्तुष्ट संस्थाओं से प्राप्त प्रत्यावेदनों को निस्तारण करते हुए वर्ष 2018-19, 2019-20 एवं 2020-21 (कुल तीन वर्षों) के लिए मानक शुल्क से इतर शुल्क निर्धारित किया गया।

3. सचिव, प्रवेश और फीस नियमन समिति, बॉसमण्डी चौराहा, चारबाग, लखनऊ द्वारा अपने पत्र सं0-4887/प्रफीनिस/शु0निर्धा0/2022 दिनांक-29.09.2022 द्वारा प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है कि वर्ष 2021-2022 की भांति शैक्षणिक वर्ष 2022-23 (एक वर्ष) के लिए समिति द्वारा पूर्व में निर्धारित शुल्क ही प्रभावी होने से संबंधित आदेश निर्गत किया जाना है। तदनुसार शैक्षिक सत्र 2022-23 हेतु शुल्क आदेश निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

4. समिति की बैठक दिनांक 13.06.2022 में शैक्षिक सत्र 2022-23 हेतु मानक शुल्क निर्धारण के सम्बन्ध में निर्णय लिया गया कि "समिति द्वारा जनमानस की परेशानियों एवं छात्रहित/जनहित को ध्यान में रखकर निर्णय लिया गया कि वर्ष 2018-19, 2019-20 एवं 2020-21 में निर्धारित मानक शुल्क व शासन द्वारा वर्ष 2021-22 हेतु पूर्व निर्धारित मानक शुल्क को ही वर्ष 2022-23 (एक वर्ष) हेतु यथावत रखा जाय।"

5. राजस्व विभाग के शासनादेश संख्या-195/एक-11-2020, दिनांक 24.03.2020 द्वारा भारत सरकार के आपदा प्रबन्धन अधिनियम-2005 सपठित उ0प्र0 आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 की धारा-2(जी) के अन्तर्गत कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के कारण फैल रही महामारी को आपदा घोषित किया गया है। कोरोना वायरस (कोविड-19) की तीसरी लहर के संक्रमण के फलस्वरूप उत्पन्न असाधारण परिस्थितियों के कारण अधिकांश अभिभावकों की आर्थिक स्थिति कमजोर हुई है एवं बहुत से लोग इसकी वजह से रोजगार खो चुके हैं, तो कुछ लोग शारीरिक एवं मानसिक बीमारी का शिकार हुए हैं। इस संबंध में

अभियंत्रण संस्थाओं के प्रतिनिधि संगठन उत्तर प्रदेश प्राइवेट कालेजेज एसोसियेशन (यू०पी०पी०सी०ए०) तथा कुछ अभियंत्रण संस्थाओं द्वारा अपने प्रत्यावेदन प्रस्तुत किये गये हैं।

6. अतः सचिव, प्रवेश और फीस नियमन समिति द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव दिनांक 29.09.2022 तथा उक्त संगठन यू०पी०पी०सी०ए० एवं कतिपय अभियंत्रण संस्थाओं द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदनों पर सम्यक विचारोपरान्त प्रवेश और फीस नियमन समिति द्वारा विभिन्न पाठ्यक्रमों हेतु वर्ष 2017-18 में सत्र 2017-18, 2018-19 एवं 2019-20 (तीन वर्ष) हेतु निर्धारित "मानक शुल्क से इतर शुल्क" तथा वर्ष 2018-19 में सत्र 2018-19, 2019-20 एवं 2020-21 (तीन वर्ष) के लिए निर्धारित "मानक शुल्क" तथा "मानक शुल्क से इतर शुल्क" को गत वर्ष 2021-22 की भांति ही शैक्षिक सत्र 2022-23 (एक वर्ष) हेतु यथावत रखे जाने का निर्णय लिया गया है।


(सुभाष चन्द शर्मा)  
प्रमुख सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, समाज कल्याण विभाग, पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, उ० प्र० शासन।
2. निजी सचिव, विशेष सचिव, मुख्यमंत्री, उ० प्र० शासन।
3. समस्त जिलाधिकारी।
4. कुल सचिव, डा० ए०पी०जे० अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय, लखनऊ/ मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, गोरखपुर/ हरकोर्ट बटलर, प्राविधिक विश्वविद्यालय, कानपुर।
5. निदेशक प्राविधिक शिक्षा, उ० प्र०, कानपुर।
6. सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद, लखनऊ।
- ✓ 7. सचिव, प्रवेश और फीस नियमन समिति, बासमण्डी चौराहा, चारबाग, लखनऊ को इस निर्देश के साथ कि वे अपने स्तर से सम्बन्धित संस्थानों को अवगत करायें।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

  
(प्रभाकर चन्द्र मिश्र)  
संयुक्त सचिव

✓